78

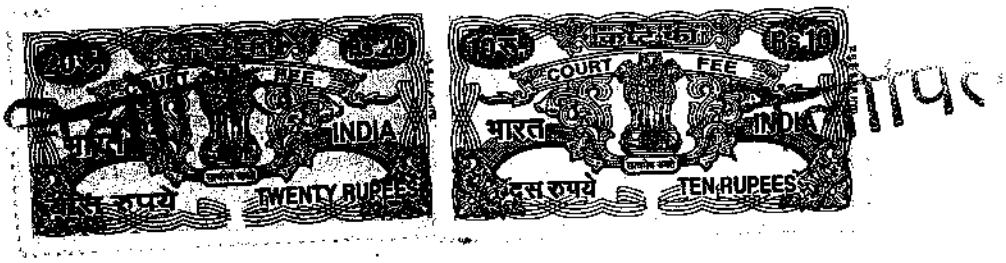

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

नि-1851-I/16

श्री ... दि. 8-6-16 को द्वारा आज प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

मनमोहन तनय श्री रतीराम साहू
निवासी बम्होरी सबदल तह0खुरई
जिला–सागर (म०प्र०) ....आवेदक

//विरूद्ध//

हरनारायण तनय श्री जयराम साहू
निवासी बम्होरी सबदल तह0खुरई
जिला–सागर(म0प्र0) ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमाँक 115/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21–01–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बम्होरी सबदलपुर प0ह0नं021 में सिति प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 216 की भूमि बिहारी लाल साहू के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित थी। बिहारी लाल साहू की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र बैजनाथ,बलीराम,मन्साराम,रामभरोसी एवं बेनीप्रसाद के नाम वारसान हक में दर्ज की गई। बैजनाथ,बलीराम एवं मन्साराम को प्रत्येक को बटवारे में 0.05हे0 भूमि व रामभरोसी व बेनीप्रसाद को प्रत्येक को 0.06हे0 भूमि बटवारे में प्राप्त हुई। रामभरोसी ने बैजनाथ,बलीराम व मन्साराम से तीनों की 0.05 है0भूमि बाद में क्रय कर ली इस प्रकार उसके नाम 0.21हे0 भूमि हो गई। प्रति–अपीलार्थी मनमोहन ने दि. 10.05.2010 को रामभरोसी से उसकी 0.21हे0 भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया उसके तीन दिन बाद दिनॉक 13.05.2010 को अनावेदक ने देवेन्द्र से 0.06हे0 भूमि क्रय की उक्त भूमि सबदलपुर–लाखनखेडा सडक से लगी हुयी है। नायब तहसीलदार खिमलासा के समक्ष आवेदन दिये जाने पर नायब तहसीलदार खिमलासा ने अपने दि. 09.05.2012 को आदेश पारित कर नक्शा में गलत तरमीम कर गलत बंटांक आदेश पारित किया

अजय श्रीवास्तव (एड.)
सागर (म.प्र.)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक......निग..1851/I/16..जिला.......सागर..........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-6-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गये। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमाँक 115/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21–01–2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि ग्राम बम्होरी सबदलपुर प0ह0नं021 में स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 216 की भूमि बिहारी लाल साहू के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित थी। बिहारीलाल साहू की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र बैजनाथ, बलीराम, मन्साराम, रामभरोसी एवं बेनीप्रसाद के नाम वारसान हक में दर्ज की गई। बैजनाथ,बलीराम एवं मन्साराम को प्रत्येक को बटवारे में 0.05हे0 भूमि व रामभरोसी व बेनीप्रसाद को प्रत्येक को 0.06हे0 भूमि बटवारे में प्राप्त हुई। रामभरोसी ने बैजनाथ, बलीराम व मन्साराम से तीनों की 0.05 हे0 भूमि बाद में कय कर ली इस प्रकार उसके नाम 0.21 हे0 भूमि हो गई। अनावेदक मनमोहन ने दिनांक 10.05.2010 को रामभरोसी से उसकी 0.21 हे0 भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया उसके तीन दिन बाद दिनॉक 13.05.2010 को अनावेदक ने देवेन्द्र से 0.06हे0 भूमि कय की उक्त भूमि सबदलपुर–लाखनखेडा सडक से लगी हुयी है। नायब तहसीलदार खिमलासा के समक्ष आवेदन दिये जाने पर नायब तहसीलदार खिमलासा ने अपने दि. 09.05.2012 को आदेश पारित कर नक्शा में गलत तरमीम कर गलत बंटांक आदेश पारित किया उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने आवेदक की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का विधिवत् आदेश दिनॉक 30.09.2013 पारित किया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने भूमि का बटांक वर्टिकल हॉरीजेन्टल होगा के आधार पर बिना किसी विश्लेषण के विचारण का आदेश यथावत रखते हुए अपील स्वीकार की है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।	

[कृ. प. उ.

R 1851. 5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3— उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण नक्शा बटांक का है जिसमें सभी विक्रयपत्रों की सीमा के अवलोकन उपरांत कब्जा अनुसार दुरूस्ती की जाना थी किंतु पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को गुमराह कर लाल स्याही से दुरूस्ती की हैं इस आधार पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 4— आवेदक अधिवक्ता द्वारा के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अपर आयुक्त सागर द्वारा नक्शा भूमि का बटांक वर्टिकल एवं हॉरीजेन्टल के आधार पर भूमि का विभाजन खड़ा किया जाना मान्य किया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा नक्शा बटांक एवं भूमि के क्रय विक्रय के पूर्व नक्शा बटांक को वैद्य मान्य किया है। आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क मान्य योग्य है कि विवादित भूमि की कुल चौड़ाई लगभग 40 फुट होने से खड़ा विभाजन होने पर खातेदारों को मात्र 10 फुट चौड़ाई ही मिलेगी ऐसी स्थिति में पारित प्रश्नगत आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/01/2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/09/2013 निरस्त करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार खिमलासा को पुनः निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे मौके पर कब्जा अनुसार सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः स्थल निरीक्षण उपरांत प्रकरण का निराकरण करें। आदेश की प्रति तहसीलदार खिमलासा को भेजी जाये प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	